संख्या-51/2018/1701/33-3-2018-40/2018

प्रेशक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक,**
पंचायतीराज, उ0प्र0।

2- **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक- 13 जून, 2018**

विशय:-प्रदेश के ग्रामीण निकायों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्रामीण निकायों में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित परम्परागत स्ट्रीट **लाईटों (Conventional Lights)** को **कम ऊर्जा खपत, उच्च जीवनकाल, पर्यावरण अनुकूल एवं न्यून विद्युत बिल** वाले एल0ई0डी0 **(Light Emitting Diode)** लाईटों में परिवर्तित किया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1- ग्रामीण निकायों में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपलब्ध स्ट्रीट लाईटों का स्थलीय सर्वे संलग्न प्रारूप के अनुसार कराकर ग्राम पंचायतवार संख्या निर्धारित करते हुए इन्हें एल0ई0डी0 लाईटों में परिवर्तित किये जाने हेतु वर्षवार लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। तदुपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाईटों का एल0ई0डी0 लाईटों में परिवर्तन 14वें वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से ग्राम पंचायत विकास योजना के मार्ग निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए धनराशि मात्राकृत की जायेगी।

2- ग्रामीण निकायों द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों का क्रय प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। एल0ई0डी0 लाईटों के वॉट (watts) तथा उसके सापेक्ष क्रय हेतु दरों का निर्धारण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा:-

http://shasnadeshup.nic.in

क्र0सं0	नाम	पदनाम
1.	जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	अधिशासी अभियंता, विद्युत/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन	सदस्य
5.	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
6.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य/सचिव

इस समिति की बैठक का आयोजन कर उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। समिति की बैठक को ससमय आयोजित कराने का उत्तरदायित्व जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का होगा।

3- ग्रामीण निकाय भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप एल0ई0डी0 लाईटें, जिला स्तरीय उक्त समिति द्वारा निर्धारित नियत दरों के सीमान्तर्गत प्रचलित नियमों के अनुसार क्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगें।

4- ग्रामीण निकायों द्वारा शासनादेश जारी होने के उपरान्त भविष्य में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईटों में पारम्परिक लाईटों के स्थान पर एल0ई0डी0 लाईटों का उपयोग करना ही सुनिश्चित किया जायेगा।

5- ग्रामीण निकाय स्ट्रीट लाईट स्थापित करने के लिए बिना किसी अपवाद के नियमानुसार सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम से विद्युत संयोजन लेंगी और साथ ही उनका भुगतान भी बिलों के सापेक्ष नियमित करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि बिना वैध रूप से विद्युत संयोजन लिए स्ट्रीट लाईट स्थापित की गई या विद्युत बिलों का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है तो उस ग्रामीण निकाय के ग्राम स्तरीय कार्मिक (पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

6- ग्रामीण निकायों में पूर्व से स्थापित पारम्परिक लाईटों के एल0ई0डी0 लाईटों में परिवर्तन उपरान्त अवशेष परम्परागत स्ट्रीट लाईटों का निस्तारण सम्बन्धित ग्रामीण निकायों द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

अतएव उक्त बिन्दुओं के परिपालन में 14वें वित्त/चतुर्थ राज वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी शासनादेशों में निहित प्रावधानों व वित्तीय नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2-विशेष सचिव/स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।

4-समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।

6-समस्त मण्डलीय उपनिदेषक (पं0) उ0प्र0।

7-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in